


न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

जांक	फर्द अहकाम	
	<p>मुं न 122/17 तारीख रजु 18.9.17</p> <p>उनकान - शाफी मोहम्मद कनाभ बण्णे के बालघाट दावा वाबत तकास्मा व स्थायी निबेधाजा</p> <p>वादी की और से श्री राम भवे सी गुप्ता एटके केट ने दावा वाबत तकास्मा व स्थायी निबेधाजा अन्तर्गत धारा 53 व 188 के तहत प्रस्तुत किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गणों को जरिये समन से तलब किया जाके। फावली दिनांक 4.10.17 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  अनिल आर्य अजिला कलक्टर टोडाभीम </p>	5295-5/09
4/17	<p>वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी न 1 ता 5 व 15 की तामिल हो चुकी है। वावजूद सूचना उपलब्ध नहीं। इस लिए एडनेक किरा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अन्य प्रतिवादी गण की तामिल नहीं हुई। प्रतिवादी जयपुर निवास करते हैं। संप्रकार सही पता बसाश कर पुन तलबी दिनांक 6.11.17 को पेश हो।</p>	
5.11.17	<p>वादी वकील उप०। शेष प्रतिवादी गण के समन तलब में पेश कर। वाले तलबी 18.12.17 को पेश हो।</p>	
8/7	<p>वादी वकील उपस्थित। वाले तलबी दिनांक 22.1.18 को पेश हो।</p>	

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडा

फर्द अहकाम

दिनांक	
25.6.19	<p>वकुल्य उपस्थित/पीअसन अधिकारी इफकारा पर फर्द है। अतः पत्रावली गतासुसार दिनांक 24.7.19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p>
24.7.19	<p>वकुल्य उपस्थित/पीअसन अधिकारी फर्द है। अतः पत्रावली गतासुसार दिनांक 25.7.19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p>
25.7.19	<p>वादी वकील उप०। वादी वकील ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी नं. 6 का 14 के बाहर चले जाने से पता मालुम नहीं हो रहा है। इसलिए नया दावा पेश करने की इजाजत देते हुए यह दावा खारिज फर्मा दिया जावे। वादी वकील की बहस सुनकर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए नया दावा पेश करने की इजाजत देते हुए यह दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली केसल नुमार होकर नम्बर से कम होकर दायित्व दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p>

जिला कलक्टर
टोडाभीम (करा)